संख्या-760/2026/1232/22-2-2025-17(489)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 15 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकुमार मौर्या पुत्र श्रीराम मौर्या, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएंउ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025) दिनांक-25-06-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकुमार मौर्या पुत्र श्रीराम मौर्या, जो खेरवा दलेलनगर, थाना-कछौना, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 05.11.2005 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती सुशीला (माँ) एवं 02 बहनों रीता व रेनू का अपहरण कर बहन रीता की नदी में डुबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी० नं0- 172/2006, भा०द०वि० की धारा- 302/149, 307/149, 364, 368 के अर्न्तगत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-05, हरदोई के आदेश दिनांक 28.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) एस०टी० नं0- 2161/2009, भा०द०वि० की धारा-25ए एक्ट में मा० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-01, हरदोई द्वारा 02 वर्ष का कारावास। बन्दी द्वारा 18.06.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 09 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली श्रेणी में होने, भविष्य में समयपूर्व रिहा किया जाता है तो वह पीड़ित पक्ष को भयाकान्त होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा होने पर पुनः कोई अप्रिय घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बन्दी ने दिनांक 05.11.2005 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती सुशीला (मॉ) एवं 02 बहनों रीता व रेनू का अपहरण कर बहन रीता की नदी में डुबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामकुमार मौर्या पुत्र श्रीराम मौर्या को फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकुमार मौर्या (बन्दी संख्या-25972) पुत्र श्री राम मौर्या, निवासी जनपद-हरदोई को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-760/2026/1232(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-760/2026/1232/22-2-2025-17(489)/2025

दिनांक: 15 जून, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकुमार मौर्या पुत्र श्रीराम मौर्या, जो खेरवा दलेलनगर, थाना-कछौना, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 05.11.2005 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती सुशीला (माँ) एवं 02 बहनों रीता व रेनू का अपहरण कर बहन रीता की नदी में डुबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी० नं0- 172/2006, भा०द०वि० की धारा- 302/149, 307/149, 364, 368 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-05, हरदोई के आदेश दिनांक 28.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) एस०टी० नं0- 2161/2009, भा०द०वि० की धारा-25ए एक्ट में मा० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-01, हरदोई द्वारा 02 वर्ष का कारावास। बन्दी द्वारा 18.06.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 09 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली श्रेणी में होने, भविष्य में समयपूर्व रिहा किया जाता है तो वह पीड़ित पक्ष को भयाकान्त होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा होने पर पुनः कोई अप्रिय घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बन्दी ने दिनांक 05.11.2005 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती सुशीला (मों) एवं 02 बहनों रीता व रेनू का अपहरण कर बहन रीता की नदी में डुबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामकुमार मौर्या पुत्र श्रीराम मौर्या को फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।